संख्या- 144 /2021 / 1462 /चार-2021

प्रेषक,

आनन्द कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 10 सितम्बर, 2021

विषयः आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 'आजादी का अमृत महोत्सव' पूरे प्रदेश में भव्य रूप से मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयकआपके पत्र संख्या- 860/सं0नि0-15(52)/2020-21 दिनांक 03 अगस्त, 2021 संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किआजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 'आजादी का अमृत महोत्सव' एवं चौरी-चौरा शताब्दी समारोह में जिलाधिकारियों द्वारा कार्यक्रमों के आयोजन पर होने वाले व्यय हेतु रू0 435.00 लाख (रू0 चार करोड़ पैंतिस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जाने वाली धनराशि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 'आजादी का अमृत महोत्सव' पूरे प्रदेश में भव्य रूप से मनाये जानेके अन्तर्गत संलग्न कार्ययोजना एवं विवरण के अनुसार कार्यक्रम किये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) इस हेतु जिलाधिकारियों द्वारा कराये गये कार्यक्रमों के संबंध में छायाचित्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन रिपोर्टआदि निदेशक, संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(8) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-800- अन्य व्यय-19-चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

3 - यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-705/दस-2021 दिनांक 12 अगस्त, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
(आनन्द कुमार)
विशेष सचिव

संख्या - 144 /2021 / 1462 (1)/चार-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- संबंधित जिलाधिकारी।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 'आजादी का अमृत महोत्सव' पूरे प्रदेश में भव्य रूप से मनाये जाने के संबंध में कार्ययोजना एवं विवरण

- साईकिल सवार वालिंटियर्स द्वारा साईकिल के माध्यम से तिरंगा यात्रा का आयोजन।
- स्वतंत्रता संग्राम शहीदों के परियोजना को सम्मानित करना।
- स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों एवं सेनानियों से संबंधित चित्रकला एवं म्यूरल प्रदर्शनी/चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन।
- लोक कलाकारों द्वारा जनश्रुतियों व लोकगीतों में आधारित गायन की प्रस्तुति।
- देश एवं प्रदेश के स्वतंत्रता आन्दोलन से संबंधित प्रमुख घटनाओं पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन।
- स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले गीतों की सांगीतिक प्रस्तुतियों (स्थानीय बोलियों में) का आयोजन।
- स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों, शहीद स्थलों एवं घटनाओं पर आधारित ऑनलाइन फोटो प्रदर्शनी/अभिलेख प्रदर्शनी/फोटो प्रतियोगिता/ निबन्ध प्रतियोगिता/ व्याख्यान/ वेबिनार का आयोजन।
- स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले लोकगीतों/कठपुतली/नौटंकी/नुक्कड़ नाटक आदि की प्रस्तुतियों का आयोजन।
- 'स्वतंत्रता आन्दोलन के वीर शहीदों' एवं सेनानियों पर आधारित पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन।
- ऑनलाइन काव्य गोष्ठी/काव्य लेखन का आयोजन।
- देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक नृत्य का आयोजन।
- कस्बों एवं नगरों में आजादी के नायकों पर आधारित सचल प्रदर्शनियों का आयोजन।
- छात्र-छात्राओं के लिए डिजिटल थियेटर फेस्टिवल का आयोजन करना।
- स्वाधीनता पर आधारित रंगोली एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना।

प्रदर्शनी/प्रतियोगिता/व्याख्यान/वेबिनार आदि हेतु प्रमुख विषय

1. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857
2. सहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं भारत छोड़ो आन्दोलन
3. चौरी-चौरा के शहीद
4. भारतीय क्रान्तिकारी
5. स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद
6. भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन-रूहेलखण्ड के विशेष संदर्भ में
7. स्वतंत्रता आन्दोलन-पूर्वांचल के विशेष संदर्भ में

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

'आजादी का अमृत महोत्सव' एवं चौरी-चौरा शताब्दी समारोह में जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि का विवरण

जनपद	धनराशि (करोड़ रू0 में)
प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुरनगर, झाँसी, आगरा, बरेली, शाहजहाँपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर (12जनपदx10.00 लाख) (10.00 लाख प्रति जनपद, रू0 2.00 लाख प्रति माह)	1.20
फतेहपुर, प्रतापगढ, कौशाम्बी, जौनपुर, गाजीपुर, चन्दौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, संतरविदासनगर, (भदोही), आजमगढ, बलिया, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुरखीरी, कानपुरदेहात, फर्रूखाबाद, इटावा, औरैया, कन्नौज, बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन, ललितपुर, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ, हाथरस, एटा, काशीरामनगर (कासगंज), बदायूँ, पीलीभीत, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, हापुड, बुलन्दशहर, बागपद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली (63जनपदx05.00 लाख) (5.00 लाख प्रति जनपद, रू0 1.00 लाख प्रति माह)	3.15
योग (रूपये चार करोड़ पैंतिस लाख मात्र)	4.35

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।